



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(Cadre Control Unit)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU-73/2025

रेल्वे भर्ती बोर्ड CEN-02/2024 के अंतर्गत तकनीशियन ग्रेड-III के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री मयंक शर्मा, हवलदार (ग्रुप 'सी'), सीजीएसटी आयुक्तालय, जयपुर द्वारा दिनांक 29.08.2025/02.09.2025 को दिये गए तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 04.09.2025 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Technician Gr-III under CEN-02/2024, RRB Technician posts through RRB, the **Technical Resignation** dated 29.08.2025/02.09.2025 tendered by Shri Mayank Sharma, Havaldar (Group-'C'), CGST Commissionerate, Jaipur is hereby accepted **w.e.f. 04.09.2025**.

चूंकि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में हवलदार के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए हवलदार ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Havaldar, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Havaldar.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अनुपमा सकसेना)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री मयंक शर्मा, हवलदार, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, जयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, जयपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. F. No. ET/MISC/47/2024-ADMN-O/o Pr COMMR-CGST-JAIPUR I/3369920/2025 दिनांक 03.09.2025 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री मयंक शर्मा, हवलदार को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असरकृता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं हैं। तत्पश्चात श्री मयंक शर्मा, हवलदार को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेश्वर जयपुर/अंकेश्वर जोधपुर/अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबैधित एसोसियेशन/ सूचना पट्टि।